न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 46 / 2022

अपीलार्थीगण
(1) भगाराम पुत्र भींगारामजी, जाति– सरगडा, निवासी– जेला, तह. व जिला–सिरोही
(2) दिलीपकुमार पुत्र भींगारामजी, जाति–सरगडा, निवासी–जेला, तह. व जिला–सिरोही
(3) वीजुबेन पुत्री भींगारामजी पत्नी राजुभाई, जाति– सरगडा, निवासी– सिरोडीकी, तहसील व जिला– सिरोही, हाल निवासी– बाकरोल, आणन्द (गुजरात)

बनाम

प्रत्यर्थीगण
(1) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला– सिरोही
(2) उप तहसीलदार, कालन्द्री, तहसील– सिरोही, जिला– सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थितिः
1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार सुराणा, अपीलार्थीगण की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– दिनांक 22 अगस्त, 2023

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम जैला, पटवार हल्का जेला के नामामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने के पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के कारण विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र भी प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध अलग से प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थीगण की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के वकील ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थीगण के पिता भींगारामजी पुत्र मानाजी, जाति– सरगडा, निवासी– जेला के कब्जे खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम जेला, पटवार हल्का जेला के खसरा संख्या 581 रकबा 1.4700 हेक्टेयर व खसरा संख्या 582 रकबा 0.8100 हेक्टेयर कुल किता 2 रकबा 2.2800 हेक्टेयर आई हुई है। अपीलार्थीगण के पिता भींगारामजी की मृत्यु दिनांक 30.10.2005 को हुई है, जिससे अपीलार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण उनके नाम से दायर करवाने हेतु आवेदन दिनांक 28.9.2021 को प्रस्तुत किया, जिसकी प्रविष्ठी संख्या 354 दिनांक 28.9.2021 है। उक्त नामान्तरकरण पर पटवारी हल्का, जेला द्वारा गलत टिप्पणी प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का, जेला ने कभी भी अपीलार्थीगण को दस्तावेज प्रस्तुत करने व शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु सूचित नही किया है जिससे अपीलार्थीगण उक्त प्रलेख तथा पटवारी द्वारा चाहा गया शपथ पत्र प्रस्तुत करने से वंचित रहे है। जिसमे अपीलेण्टान की कोई बदनियती या लापरवाही नहीं रही है। पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की टिप्पणी के आधार पर आलोच्य नामान्तरकरण को अस्वीकृत किया जाना किसी भी रूप से न्याय [illegible] नहीं है। उप तहसीलदार, कालन्द्री ......पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

ने पटवारी एवं गिरदावर की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री ने आलोच्य नामान्तरकरण अस्वीकृत किये जाने के पूर्व अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने हेतु कोई अवसर प्रदान नही किया है। यह कि मृतक भींगारामजी के अपीलार्थीगण के अलावा अन्य कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। अपीलार्थीगण की माता पंकु देवी का देहान्त हो चुका है। मृतक भीगाराम की एक पुत्री सरमी बाई थी, जिसका देहान्त दिनांक 20.8.1997 को हुआ है। जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत फुगणी द्वारा जारी किया गया है। सरमी बाई के एक पुत्र सोनाराम हुआ था, जिसकी मृत्यु हो चुकी है एवं सोनाराम अविवाहित था। सोनाराम के अलावा सरमीबाई के अन्य कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। उक्त सोनाराम की मृत्यु हो चुकी है इस प्रकार, मृतक भींगारामजी के अपीलार्थीगण के अलावा अन्य कोई कानूनी उतराधिकारी नहीं है। जिससे अपीलार्थीगण के नाम से नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना उप तहसीलदार कालन्द्री के लिये लाजमी था लेकिन ऐसा नही कर उप तहसीलदार कालन्द्री ने गम्भीर कानूनी त्रुटी की है। यह कि भींगारामजी की मृत्यु के पश्चात अपीलार्थीगण प्रश्नगत कृषि भूमि पर खेती करते आ रहे है एवं प्रश्नगत कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा काश्त एवं हक अधिकार है। उप तहसीलदार कालन्द्री ने उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किये जाने से पूर्व कोई जांच नहीं की है। अतः अपीलार्थीगण की अपील को स्वीकार किया जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम जेला, पटवार हल्का जेला के नामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने के पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण के हक में उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के आदेश पारित किय जावे। जबकि पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के खातेदार भीगाराम की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों नाम से हल्का पटवारी, जेला द्वारा नामान्तरकरण दायर किया गया। हल्का पटवारी, जेला द्वारा चाहे गये दस्तावेज व शपथ पत्र अपीलार्थीगण द्वारा हल्का पटवारी को उपलब्ध नही करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र एवं खाते में अन्तर होने के कारण उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा नामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने का आदेश दिनांक 20.12.2021 को पारित किया गया है।

(4) हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला के खाता संख्या 80 खसरा संख्या 581 रकबा 1.4700 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 582 रकबा 0.8100 हेक्टेयर भूमि कुल किता 2 रकबा 2.2800 हेक्टेयर भूमि के खातेदार श्री भीगा पुत्र माना जी, जाति– सरगडा, निवासी– जैला की मृत्यु हो जाने के बाद हल्का पटवारी, जैला द्वारा मृतक खातेदार भीगा पुत्र माना जी, जाति– सरगडा की उक्त कृषि भूमि का उत्तराधिकार का नामान्तरकरण संख्या 354 दिनांक 28.9.2021 को श्री दिलीप कुमार पुत्र भीगा, भगाराम पुत्र भीगा व वरजु पुत्री भीगा, जाति– सरगडा, निवासी– जैला के पक्ष में दायर किया गया, जिसे उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा दिनांक 20.12.2021 को अस्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है। उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा उक्त नामान्तरकरण को इस आधार पर खारिज किया गया है कि हल्का पटवारी, जैला द्वारा चाहे गये दस्तावेज उपलब्ध नही करवाये। अपीलार्थीगण द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत संबंधित दस्तावेजों की छाया प्रतियों का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि भींगा पुत्र माना जी, जाति– सरगडा, निवासी– जैला की मृत्यु दिनांक 30.10.2005 को हुई है। अपीलार्थीगण ने अपील के साथ अपीलार्थीगण की [illegible] देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र व अपीलार्थीगण की बहन सरमी बाई के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति भी प्रस्तुत की

....पेज तीन पर

प्रति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested

गई है। प्रकरण में यह स्पष्ट है कि मृतक खातेदार भीगा पुत्र माना जी, जाति– सरगडा, निवासी– जैला के अपीलार्थीगण उत्तराधिकारी है, लेकिन उप तहसीलदार, कालन्द्री ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने का आदेश दिनांक 20.12.2021 को पारित किया है जिससे अपीलार्थीगण वांछित दस्तावेज व शपथ पत्र प्रस्तुत नही कर सके। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थीगण की यह अपील आंशिक स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा नामान्तरकरण संख्या 354 को अस्वीकृत करने के पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार नामान्तरकरण दायर कर निर्णित करने हेतु प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थीगण अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारवान होने एवं भलीभांति साबित होने से आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर उप तहसीलदार, कालन्द्री द्वारा ग्राम जैला, पटवार हल्का जैला, तहसील– सिरोही के नामान्तरकरण संख्या 354 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2021 को अपास्त किया जाता है, एवं प्रकरण उप तहसीलदार, कालन्द्री को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि, अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वांछित दस्तावेज व शपथ पत्र आदि प्राप्त कर मृतक खातेदार भीगा पुत्र माना जी, जाति– सरगडा, निवासी– जैला के विधिक वारिसानों की समुचित जांच कर नामान्तरकरण पुनः दायर कर नियमानुसार निर्णित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22 अगस्त, 2023 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर विश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 15:38:17 IST
Reason: SelfAttested